अत्यावश्यक

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) 2015/कार्मिक–भर्ती/प्रमुवसं/ 8905 -26 दिनांक 13/8/15

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.)
राजस्थान जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर/
वन वर्धन अधिकारी जयपुर/प्रशिक्षण एवं अनुसंधान जयपुर।
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जयपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/अजमेर/भरतपुर।
मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर/वन्य जीव भरतपुर/वन्य जीव जोधपुर/
बाघ परियोजना सरिस्का (मुं0) अलवर।
वन्य जीव कोटा/वन्य जीव जयपुर/मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य जयपुर/
मुख्य वन संरक्षक आर.वी.पी. कोटा/
मुख्य वन संरक्षक बनास नदी परियोजना जयपुर/मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) अरण्य भवन जयपुर।

विषयः– वनरक्षक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने बाबत।
संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र समक्रमांक 7275–88 दिनांक 16.07.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा वनरक्षक के पूर्व के 1300 रिक्त पदों एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6812–90 दिनांक 13.07.2015 द्वारा वनरक्षक के आवंटित 500 नवसृजित पदों पर सीधी भर्ती की जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रचलित रोस्टर के अनुसार प्रवर्गवार सूचना चाही गई थी, परन्तु विभिन्न कार्यालयों द्वारा इस संबंध में बार–बार मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। इस संबंध में अर्थना प्रपत्र भरने के निम्न अनुदेश जारी किये जाते है :–

1. प्रपत्र के प्रत्येक भाग में पूर्ण सूचना अंकित करें व जो भाग लागू न हो, उन्हें अवश्य काट दें। इसके अभाव में पद को विज्ञापित नहीं किया जा सकेगा।
2. आरक्षित पदों का रोस्टर प्रणाली के आधार पर निर्धारित संख्या अंकित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व नियुक्ति अधिकारी का होगा।
3. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला वर्ग में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो पदों को नियमानुसार मेरिट की सामान्य प्रक्रिया से भरा जाए या उक्त वर्गों के अभ्यर्थियों से ही भरा जाए, स्पष्ट रुप से उल्लेख करें।
4. वनरक्षक के रिक्त पदों की सीधी भर्ती गणना हेतु भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण 33.33 प्रतिशत रहेगा।
5. कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ 15 (24)डीओपी/ए–II/75 जयपुर दिनांक 20.11.1997 से जारी परिपत्र के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति के जिन कर्मकारों की नियुक्ति आरक्षण के आधार पर नहीं होकर मेरिट के आधार पर हुई है, उन्हें आरक्षित पद के विरुद्ध नियुक्त न मानते हुए अनारक्षित पद के विरुद्ध नियुक्त माना जाकर समायोजित किया जाना है। इसके उपरांत भी यदि आरक्षित संवर्ग के कर्मकारों की संख्या आरक्षित पदों से अधिक रहती है, तो उन्हें अब की जाने वाली नियुक्ति के आरक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाना है।
6. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 15 (1)2012/कार्मिक–स्ट्रेन्थ/प्रमुवसं/8467–8575 दिनांक 10.08.2015 द्वारा वनरक्षक के स्वीकृत पदों का पुनर्रावंटन किया गया है। अतः वनरक्षक के रिक्त पदों की सूचना उक्त आदेश दिनांक के अनुसार गणना की जाकर संलग्न अर्थना प्रपत्र में भरकर प्रेषित की जावे।

इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पत्र के संलग्न प्रपत्र भिजवाकर लेख है कि आप उक्त प्रपत्र में वनरक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की प्रवर्गवार सूचना दिनांक 01.07.2015 की स्थिति अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रचलित रोस्टर के अनुसार <u>3 दिवस में ई–मेल आई.डी. dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in</u> पर भिजवाना सुनिश्चित करें (हस्ताक्षरयुक्त Scanned copy) ताकि वनरक्षक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से नियमान्तर्गत भरे जाने की कार्यवाही की जा सके। प्रवर्गवार आरक्षण के संबंध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 13713–814 दिनांक 30.12.2014 का अवलोकन करें जिसके द्वारा इस संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है।

जिन वन मंडलों का आंशिक/पूर्ण क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है उन वन मंडलों की सूचना अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये पृथक–पृथक भेजी जावे। समस्त मुख्य वन संरक्षक अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय की सूचना उक्त प्रपत्र में एकजाही कर संलग्न कार्यक्रमानुसार इस कार्यालय में उपस्थित होवें, ताकि उक्त प्रस्तावों पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जा सके।

संलग्न :– उक्तानुसार
अर्थना प्रपत्र का भाग संख्या 2 (क,ख,ग)

भवदीय,

(डॉ0 सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) 2015/कार्मिक–भर्ती/प्रमुवसं/ दिनांक

प्रतिलिपि संबंधित उप वन संरक्षक .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

वनपाल/वनरक्षक के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की सूचना के संबंध में संभागीय मुख्य वन संरक्षकगणों को सूचना के साथ कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर में उपस्थित होने के संबंध में कार्यक्रम

क्र.सं.	नाम कार्यालय	दिनांक	समय
1	मुख्य वन संरक्षक भरतपुर	19.08.2015	10.30 से 11.30 ए.एम.
2	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर	19.08.2015	10.30 से 11.30 ए.एम.
3	मुख्य वन संरक्षक अजमेर	19.08.2015	11.30 से 1.00 पी.एम.
4	मुख्य वन संरक्षक जयपुर	19.08.2015	11.30 से 1.00 पी.एम
5	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) राजस्थान जयपुर	19.08.2015	2.30 से 3.30 पी.एम
6	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) सरिस्का	19.08.2015	2.30 से 3.30 पी.एम.
7	मुख्य वन संरक्षक बनास नदी परियोजना जयपुर	19.08.2015	3.30 से 5.00 पी.एम.
8	मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य जयपुर	19.08.2015	3.30 से 5.00 पी.एम.
9	मुख्य वन संरक्षक उदयपुर	20.08.2015.	10.30 से 11.30 ए.एम.
10	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)उदयपुर	20.08.2015	10.30 से 11.30 ए.एम.
11	मुख्य वन संरक्षक कोटा	20.08.2015	11.30 से 1.00 पी.एम.
12	मुख्य वन संरक्षक आर.वी.पी.कोटा	20.08.2015	11.30 से 1.00 पी.एम
13	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)कोटा	20.08.2015	11.30 से 1.00 पी.एम
14	मुख्य वन संरक्षक जोधपुर	20.08.2015	2.30 से 3.30 पी.एम.
15	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)जोधपुर	20.08.2015	2.30 से 3.30 पी.एम.
16	मुख्य वन संरक्षक बीकानेर	20.08.2015	3.30 से 5.00 पी.एम.

(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

भाग संख्या–2

(क–I पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना)वनरक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.सं.	वर्ग	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	सामान्य (पुरुष) (संबद्ध वर्ग में अनारक्षित कुल पदों का 70%)	महिला			वि.वि
				सामान्य (कुल पदों का 20%)	विधवा (कुल पदों का 8%)	परित्यक्ता 2 %	
1	सामान्य वर्ग (अनारक्षित 50%)						
2	अनुसूचित जाति (16%)						
	अनुसूचित जाति (टी.एस.पी. क्षेत्र 5%)						
3	अनुसूचित जनजाति (12%)						
	अनुसूचित जनजाति (टी.एस.पी. क्षेत्र 45%)						
4	बारां जिले के किशनगंज शाहबाद तहसील के सहरिया (25%)						
5	पिछडा वर्ग (21%)						
6	विशेष पिछडा वर्ग (1%)						

(क–II पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना)वनरक्षक के कार्यरत पदों का विवरण

क्र.सं.	वर्ग	प्रवर्गवार कार्यरत / पदस्थापित कर्मियों की संख्या	सामान्य (पुरुष)	महिला			वि.वि
				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	
1	सामान्य वर्ग						
2	अनुसूचित जाति						
	अनुसूचित जाति (टी.एस.पी. क्षेत्र)						
3	अनुसूचित जनजाति						
	अनुसूचित जनजाति (टी.एस.पी. क्षेत्र)						
4	बारां जिले के किशनगंज शाहबाद तहसील के सहरिया						
5	पिछडा वर्ग						
6	विशेष पिछडा वर्ग						

(क–III पदस्थापित संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना) वनरक्षक के रिक्त पदों का विवरण (बैकलॉग पदों को सम्मिलित करते हुए)

क्र.सं.	वर्ग	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य (पुरुष)	महिला			रिक्ति वर्ष
				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	
1	सामान्य वर्ग						
2	अनुसूचित जाति						
	अनुसूचित जाति (टी.एस.पी. क्षेत्र)						
3	अनुसूचित जनजाति						
	अनुसूचित जनजाति (टी.एस.पी. क्षेत्र)						
4	बारां जिले के किशनगंज शाहबाद तहसील के सहरिया						
5	पिछडा वर्ग						
6	विशेष पिछडा वर्ग						
7	विशेष पिछडा वर्ग (कुल पदों का 4 % Notional						

ख – बैकलॉग के पद (3 वर्ष तक कैरी फारवर्ड होने वाले/अजा/अजजा के पद)

क्र.सं.	वर्ग	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य (पुरुष)	महिला			रिक्ति वर्ष
				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	
1	सामान्य वर्ग						
2	अनुसूचित जाति						
	अनुसूचित जाति (टी.एस.पी. क्षेत्र)						
3	अनुसूचित जनजाति						
	अनुसूचित जनजाति (टी.एस.पी. क्षेत्र						
4	बारां जिले के किशनगंज शाहबाद [illegible] के सहरिया						
5	पिछडा वर्ग						

ग क्षैतिज आरक्षण

भूतपूर्व सैनिक (कुल पदों का 33.33%)	उत्कृष्ट खिलाडी (कुल पदों का 2 %)

प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्थना प्रपत्र [illegible] संबंधित [illegible] इस विषय में सरकार द्वारा समय –समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों के अनुरुप है और [illegible] (Exectutive In structions) के अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता अर्थना भेजने के लिए सक्षम हैं।

उप वन संरक्षक
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम [illegible] मोहर

मुख्य वन संरक्षक
प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम दिनांक एवं मोहर